भारत सरकार

कृषि मंत्रालय

कृषि एवं सहकारिता विभाग

राज्‍य सभा

अतारांकित प्रश्‍न सं0 1122

 23 मार्च, 2012 को उत्‍तरार्थ

**विषय: ओडिशा में किसानों द्वारा आत्‍महत्‍या**

**1122 श्री रूद्रनारायण पाणि :**

**क्‍या कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्‍या यह सच है कि 5 मार्च, 2010 को राज्‍य सभा में एक तारांकित प्रश्‍न का उत्‍तर देते हुए माननीय कृषि मंत्री ने कहा था कि ‘’ओडिशा में किसान आत्‍महत्‍या कर रहे हैं परंतु आश्‍चर्य है कि राज्‍य सरकार इसे क्‍यों मानने के लिए तैयार नहीं है’’ ;

(ख) यदि हां, तो क्‍या केन्‍द्रीय सरकार ने गत दो वर्षों के दौरान इस गंभीर मुद्दे पर राज्‍य सरकार के साथ कोई चर्चा/बातचीत की है और क्‍या किसानों द्वारा आत्‍महत्‍या को रोकने हेतु कोई प्रभावी कदम उठाए गए हैं ; और

(ग) यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्‍यौरा क्‍या है ?

**उत्‍तर**

**कृषि मंत्री (श्री शरद पवार)**

**(क):** 5 मार्च, 2010 को तारांकित प्रश्‍न सं0 126 के उत्‍तर में अन्‍य बातों के साथ ओडिशा में फसलों की क्षति, ऋण भार आदि के कारण किसानों द्वारा किए गए आत्‍महत्‍याओं की संख्‍या का उल्‍लेख किया गया था जिसके बारे में मीडिया में बताया गया था, उड़ीसा सरकार द्वारा उसकी पुष्‍टि नहीं की गई थी ।

**(ख) तथा (ग):** केन्‍द्र सरकार कृषि तथा संबद्ध क्षेत्रों में विभिन्‍न चल रही स्‍कीमों के अंतर्गत राज्‍य में कृषि दबाव को दूर करने तथा किसानों की समस्‍याओं का समाधान करने के लिए, आवश्‍यक कार्रवाई करने के लिए विभिन्‍न अवसरों पर समय-समय पर राज्‍य सरकार को सुझाव देती है ।

राष्‍ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्‍ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्‍ट्रीय बागवानी मिशन, राष्‍ट्रीय सूक्ष्‍म सिंचाई मिशन, पनधारा प्रबंधन, मृदा स्‍वास्‍थ्‍य एवं उर्वरता प्रबंधन आदि जैसे विभिन्‍न स्‍कीमों के क्रियान्‍वयन के माध्‍यम से कृषि क्षेत्र में लोक निवेश में महत्‍वपूर्ण वृद्धि को शामिल करने के साथ-साथ कृषि क्षेत्र को सशक्‍त बनाने के लिए, संधारणीय आधार पर किसानों की परिस्‍थिति को सुधारने तथा किसानों के बीच आत्‍महत्‍या को रोकने के लिए सरकार द्वारा कदम उठाए गए हैं । इस संबंध में उठाए गए कदम में निम्‍नलिखित शामिल हैं :

1. कृषि ऋण माफी तथा ऋण राहत स्‍कीम 2008 का कार्यान्‍वयन जिससे अनंतिम आंकड़ों के अनुसार, 65,318.33 करोड़ रू0 के ऋण माफी/राहत को शामिल करते हुए लगभग 3.69 करोड़ किसान लाभान्‍वित हुए ।
2. मार्च, 2011 के अनुसार, कृषि क्षेत्र के लिए 468291.28 करोड़ रू0 के ऋण के प्रवाह को बढ़ाना । 2011-12 के लिए ऋण ऋण प्रवाह का लक्ष्‍य 475000 करोड़ रू0 बढ़ाया गया, जिसकी तुलना में नवंबर, 2011 के अनुसार उपलब्‍धि 294023 करोड़ रू0 है ।
3. किसानों के लिए ऋण के प्रवाह को सरल बनाने के लिए तथा वित्‍तीय समावेश बढ़ाने के लिए सीमाबद्ध ढंग से सभी योग्‍य तथा इच्‍छुक किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान करना । अक्‍तूबर, 2011 तक, 10.78 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं ।
4. 3 लाख तक के फसल ऋण के समय पर पुर्नभुगतान के लिए ब्‍याज में छूट प्रदान करना, जिसके द्वारा ऐसे किसानों जो समय पर उनके फसल ऋण का पुर्नभुगतान करते हैं, के लिए प्रति वर्ष 4 प्रतिशत तक दर कम की गई है ।
5. पूर्व-कटाई ब्‍याज दर छूट का लाभ अब किसान क्रेडिट कार्ड रखने वाले छोटे तथा सीमांत किसानों के लिए वेयर हाउस में उनके उत्‍पाद को रखने के लिए परक्राम्‍य वेयरहाउस प्राप्‍ति की तुलना में फसल ऋण के लिए समान दर पर कटाई पश्‍चात 6 माह तक की अवधि के लिए भी उपलब्‍ध है ।
6. किसानों की आय को बढ़ाने तथा लाभकारी मूल्‍य सुनिश्‍चित करने के लिए प्रतिवर्ष अधिसूचित कृषि उत्‍पादों के लिए न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य की घोषणा की जाती है । 2004-05 से 2011-12 के दौरान महत्‍वपूर्ण रूप से प्रमुख कृषि उत्‍पादों के न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य बढ़ा दिए गए हैं, न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य की रेंज मूंगफली के मामले में 80 प्रतिशत से दालों (मूंग) के लिए 148 प्रतिशत है ।

\*\*\*\*\*